

## पूर्व मध्य रेल

चिकित्सा विभाग, समस्तीपुर

NOTICE INVITING "EXPRESSION OF INTEREST (EOI)"

संख्या. एच/245/1 सूचीबद्ध चिकित्सा/समस्तीपुर/2025

दिनांक 15.04.2025

पूर्व मध्य रेल / समस्तीपुर के रेल कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की आपात/विशेष चिकित्सा के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सभी इच्छुक सी.जी.एच.एस/ नन सी.जी.एच.एस सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध सी.जी.एच.एस/ नन सी.जी.एच.एस निजी अस्पताल निजी चिकित्सालयों से सी.जी.एच.एस दर पर निर्धारित दर पर 02 (दो) वर्ष के लिए केश रहित सेवा द्वारा सील बंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।


निजी चिकित्सालय नामित के लिए शर्तें एवं उपबंध:-

निजी मल्टी स्पेशलिटी एवं एकल स्पेशलिटी चिकित्सालय पर निम्नलिखित प्रकार से अपना स्वेच्छा पत्र देना चाहिए:-

1. चिकित्सालय समस्तीपुर, मोतीहारी, बेतिया, नरकटियागंज, सितामढी, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिलों के शहर में अवस्थित हो।
2. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या- 2014/H-1/19/3/PNM dated 05-10-2015 का दिशा निर्देश संलग्न है (केवल वबसाईट)।
3. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या -2016/एच-1/11/69/ Hospital Recognition dated 23.12.2016 का दिशा निर्देश संलग्न है (केवल वबसाईट)।
4. यदि निजी चिकित्सालय में सी.जी.एच.एस/ नन सी.जी.एच.एस द्वारा निमित्त चिकित्सालय में है तो स्वेच्छा पत्र के साथ सी.जी.एच.एस/ नन सी.जी.एच.एस सूचीबद्धता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।
5. सी.जी.एच.एस/ नन सी.जी.एच.एस पैनलबद्ध अस्पताल के लिए न्यूनतम 30 बेड होना अनिवार्य है।
6. सूचीबद्धता प्रमाण पत्र, पैन संख्या, चिकित्सको की सूची, चिकित्सा दर, उपस्करों, बेडों की संख्या एवं अस्पताल का विस्तृत विवरण तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अन्य रोगियों की तुलना में रेल कर्मचारियों के चिकित्सा में प्राथिकता दिये जाने की स्वेच्छा।
8. चिकित्सालयों में उपलब्ध पूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सको अर्थात् जैसे -जेनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जेनरल सर्जरी/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, बाल चिकित्सा, ईएनटी सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, यूरोलॉजी और इमरजेंसी सेवा आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा उपचार की सुविधा 24 घंटे होना चाहिए।
9. अत्याधुनिक सुविधा आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थियेटर, पैथोलॉजिकल लैब, रेडियोलॉजिकल विभाग सहित यूएसजी और सीटी सुविधा जैसी आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए।
10. रेलवे बोर्ड के समय-समय पर बदलते दिशा-निर्देशों को स्वीकार किया जाना चाहिए।
11. सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली दरें अस्पतालों के वर्गीकरण या अस्पताल शुल्क के आधार पर सीजीएचएस द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होनी चाहिए, जो भी कम हो और उन वस्तुओं/प्रक्रियाओं/जांचों के लिए जो सीजीएचएस दर सूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के मामले में इच्छुक अस्पतालों को अपने अस्पताल की दरों पर कुछ रियायत और साथ ही रेलों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी देनी चाहिए।
12. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/H-1/11/10/MOU दिनांक 20.11.2023 के तहत चयनित चिकित्सालय से परफोरमेन्स गारंटी के रूप में मल्टी स्पेशलिटी के लिए रु.10,00,000/- (दस लाख) एवं एकल स्पेशलिटी के लिए रु. 2,00,000/- (दो लाख) परफोरमेन्स बैंक गारंटी (PBG) जो FA&CAO/ECR/Hajipur के नाम से देय होगा जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में MOU पर हस्ताक्षर के पूर्व जामा करना होगा। परफोरमेन्स बैंक गारंटी(PBG) की वैलिडिटी 30 माह अथवा अनुबंध अवधि से 06 माह अधिक की होगी।

उपरोक्त पात्रता एवं मानदंडों को पूरा करने वाले निजी चिकित्सालय की सूची एवं निजी अस्पतालों की नामित तैयार करने के लिए उक्त प्रकार के अपने विस्तृत विवरण के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर, पोस्ट- समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर पिन- 848101, बिहार के पते पर इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन भेज देना चाहिए।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें- <http://www.ecr.indianrailways.gov>.



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर



EAST CENTRAL RAILWAY  
MEDICAL DEPARTMENT, SAMASTIPUR  
NOTICE INVITING "EXPRESSION OF INTEREST (EOI)"

No- H/245/1/Empanelment Hospital/SPJ/2025

Dated 15.04.2025


Application in sealed envelope is invited from all willing CGHS/Non CGHS empanelled and CGHS/Non CGHS empanelled Private Hospital in terms of Railway Board Guidelines for treatment for railway beneficiaries of East Central Railway, Samastipur for Two year for cashless service on CGHS prescribed rate.

Terms and Conditions for Empanelment of Private Hospital-  
Private Multi specialist and Single specialty Hospital should submit willingness letter as per following-

1. Hospital should be located in the cities Samastipur, Motihari, Bettiah, Narkatiaganj, Sitamarhi, Madhepura, Saharsa and Purnia districts.
2. Guideline of Railway Boards letter No. 2016/H-1/11/69 Hospital Recognition, dated 23.12.2016 is annexed (website only)
3. Guideline of Railway Boards letter No. 2014/H-1/19/3/PNM, dt.05.10.2015 (website only)
4. CGHS/ Non CGHS empanelment certificate must be annexed with willingness letter, if private hospital is empanelled with CGHS/ Non CGHS
5. For CGHS/Non CGHS empanelled hospital it is mandatory to have minimum 30 beds.
6. Hospital details as registration certificate, PAN number, Doctors list, Hospital Rate, Equipment, Numbers of Beds, other hospital details and other facilities.
7. Willingness of preferential treatment of Railway beneficiaries over other patients.
8. Full time specialist doctors availability in Hospital i.e 24 hours specialties facilities should be available in the field of General Medicine, Cardiology, Orthopedics, General Surgery/Laparoscopic Surgery, Plastic surgery, Neurosurgery, Nephrology, Gastroenterology, Pediatrics, ENT Surgery, Obstetrics & Gynecology, Urology & Emergency trauma service.
9. Modern facilities like ICU, PICU, NICU, CCU, Operation Theatre, Pathological Lab, Radiological department including USG and CT facility must be available 24 hours.
10. Guidelines of Railway board change in time to time should be accepted.
11. The rate to be charged by CGHS empanelled hospitals should be as per the CGHS prescribed rate based on the classification of the Hospitals or the Hospital tariff, whichever is lower and for those items/procedures/investigations which are not covered under CGHS rate list, the hospital should offer some discounts for the same on their hospital rate and also free ambulance service to the Railway.
12. As per Railway Board letter No. 2021/H-1/11/10/MOU dated 20.11.2023, Rs. 10,00,000/- (ten lakhs) for multi-specialty and Rs. 2,00,000/- (two lakhs) for single specialty as performance guarantee from the selected hospital. Performance Bank Guarantee (PBG) which will be payable in the name of FA&CAO/ECR/Hajipur, which will have to be deposited in the office of Chief Medical Superintendent before signing the MOU. The validity of Performance Bank Guarantee (PBG) will be 30 months or 06 months more than the contract period

The Private hospitals fulfilling the above criteria should apply to the Chief Medical Superintendent, East Central Railway Hospital, Samastipur, post -Samastipur, Distt.- Samastipur, Pin no.848101 Bihar with full description of the Hospital as asked above for the purpose of short listing and empanelment of the private hospital by Divisional Railway Hospital, Samastipur within 21 days from date of this advertisement.

Website particular for details information-<http://www.ecr.indianrailways.gov>.

  
Chief Medical Supdt.  
East Central Railway, Samastipur